संख्या-113/2023/I/390873/2023/001-71-2099-204-2021

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नानतकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 सितंबर, 2023

विषय:- संस्थान परिसर में कालेज ऑफ़ मेडिकल टैक्नोलोजी के छात्रों हेतु 200 बेडेड छात्रावास के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष जमा की गयी जी0एस0टी0 के मद में वास्ताविक व्यय की गयी धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/अभि0/एन0बी0-108/2018/339/ 2023, दिनांक 05.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान परिसर में कालेज ऑफ़ मेडिकल टैक्नोलोजी के छात्रों हेतु 200 बेडेड छात्रावास के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष जमा की गयी जी0एस0टी0 के मद में वास्तविक व्यय की गयी धनराशि रू0 1,39,93,302.86 अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि विषयगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-27/2020/63/71-2-2020-पी-06/2019 दिनांक 06-03-2020 द्वारा रू0 1215.21 लाख+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 486.00 लाख, शासनादेश संख्या-129 /2021/1/118101/2021, दिनांक 30-11-2021 द्वारा रू0 121.60 लाख एवं शासनादेश संख्या-19/2022/I/143073/2022-71-2099/204/2021, दिनांक 25-02-2022 द्वारा रू0 303.80 लाख तथा शासनादेश संख्या-126/2022/I/225239/001-71-2099-204-2021, दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 द्वारा धनराशि रू0 243.05 लाख अर्थात कुल रू0 1154.45 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-24 वृहद् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संस्थान परिसर में कालेज ऑफ़ मेडिकल टैक्नोलोजी के छात्रों हेतु 200 बेडेड छात्रावास के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष जमा की गयी जी0एस0टी0 के मद में वास्तविक व्यय की गयी धनराशि रू0 1,39,93,302.00 (रुपये एक करोड़ उनतालीस लाख तिरानवे हजार तीन सौ दो मात्र) अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-22/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, संजय गॉधी स्ना तकोत्तकर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
3. निदेशक/वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नाकतकोत्तिर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन धनराशि का आंकलन करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को कोई रिफण्ड प्राप्त् नहीं हुआ है तथा प्रश्नगत प्रायोजना के अंतर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि जमा/भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया गया है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,39,93,302 (रुपये एक करोड़ उनतालीस लाख तिरानवे हजार तीन सौ दो मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227 /दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

संख्या-113/2023/1/390873/2023/001-71-2099-204-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0 लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in